(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 69 / 2024 — दायर दिनांक: 10.06.2024

उनवान

1. भारतसिंह माता भंवरीबाई पुत्र बालुसिंह जाति राजपूत निवासी धतुरियाकलां तहसील पिड़ावा
2. विक्रमसिंह माता भंवरीबाई पुत्र बालुसिंह जाति राजपूत निवासी धतुरियाकलां तहसील पिड़ावा
3. दीपाकुंवर माता भंवरीबाई पुत्री बालुसिंह जाति राजपूत निवासी धतुरियाकलां तहसील पिड़ावा
4. बालुसिंह पति भंवरीबाई पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी धतुरियाकलां तहसील पिड़ावा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वकील प्रार्थीगण :— श्री मसूद अहमद खान

अप्राथी :— पैरोकार सरकार

आदेश — दिनांक : 30.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की माता तथा प्रार्थी नं. 4 की पत्नी मृतक भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह जाति राजपूत निवासी धतुरियाकलां तह० पिड़ावा हाल रेलवे कॉलोनी कोटा राज. के शामलाती खातेदारी की आराजी ग्राम धतुरियाकलां पटवार हल्का धतुरियाकलां भू०अभि०नि० गेलानी तह० पिड़ावा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073—2076 ग्राम धतुरियाकलां पटवार हल्का धतुरियाकलां भू०अभि०नि० गेलानी तह० पिड़ावा में नई खाता सख्या 14[illegible] पुरानी खाता संख्या 117 की आराजी खसरा नं. 404 रकबा 1.5176 है० स्थित है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भंवरीबाई का 1/4 हिस्सा निहित है। नकल जमाबंदी संलग्न है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की माता व प्रार्थी 4 की पत्नी का नाम भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह जाति राजपूत निवासी धतुरियाकलां तह० पिडावा जिला झालावाड़ राज, है मगर प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में यानी जमाबंदी में भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह का नाम भंवरबाई पत्नी कालुसिंह दर्ज चला आ रहा है यह त्रुटिपूर्ण अंकन किस प्रकार से व कैसे चला आ रहा है इसका ज्ञान प्रार्थीगण को नहीं है। भंवरीबाई का देहान्त दिनांकरु 23.01.2022 को हो चुका है। प्रार्थीगण को उनके स्थान पर खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योकि राजस्व रिकार्ड में उनका गलत नाम भंवरबाई पत्नी कालुसिंह दर्ज हो रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात में उनका सही व वास्तविक नाम भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह दर्ज है। प्रार्थीगण चुकि भंवरीबाई के जायज वारिसान है उनको अपनी माता व पत्नी का नाम भंवरबाई पत्नी कालुसिंह के स्थान पर सही नाम भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है। वो समस्त दस्तावेजात जिसमें भंवरीबाई का सही नाम भंवरीबाई लिखा हुआ है जो सही है उन समस्त दस्तावेजात की फोटो प्रतिलिपियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण पढ़े–लिखे लोग नहीं है, कानून की जानकारी भी नहीं रखते है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने अपने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और राजस्व रिकार्ड में भंवरबाई बाई पत्नी कालुसिंह का सही नाम भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह दर्ज करने का आग्रह किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से आदेश लाने का परामर्श दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी यानी तहसीलदार साहब पिड़ावा को आदेश प्रदान किया जाये की वो प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 की माता व प्रार्थी नं. 4 की पत्नी भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह के नाम के चले आ रहे त्रुटिपूर्ण अंकन यानी ग्राम धतुरि[illegible] पटवार हल्का धतुरियाकलां भू०अभि०नि० गेलानी त[illegible] 148 व पुरानी खाता संख्या 117 की आराजी [illegible] हे० में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भंवरबाई पत्नी कालुसिंह के स्थान पर सही नाम भंवरीबाई पत्नी बालुसिंह दर्ज करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1197 दिनांक 07.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण भारतसिह माता भंवरीबाई पुत्र बालूसिह द्वारा प्रार्थना धारा 136 एल. आर एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर किया गया प्राप्त बाद की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम धतुरियाकला के खाता न० 148 सम्वत 2073–76 में ख० न0 404 रकबा 1.5176 है० में खातेदार भवरीबाई पत्नि कालुसिहँ हि० 1/4 जाति राजपूत के खाते दर्ज है। उक्त खसरा न० 404 रकवा 1.5176 की भूमि रजिस्र्डर्ड दस्तावेजो से दर्ज हुई है। जिसका नामा० 384 में भंवरबाई पत्नि बालूसिह हि० 1/4 दर्ज हैं। जमाबन्दी बनाते समय सहवन से भंवरवाई पत्नि बालूसिह के स्थान पर भंवरबाई पत्नि कालूसिह दर्ज हो गया था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि भंवंरबाई पत्नि कालूसिह के स्थान पर भंवरबाई पत्नि बालूसिंह शुद्धि करने योग्य हैं।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम धतुरियाकलां के खाता सं. 148 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, भंवरीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बालूसिंह का आधार कार्ड (644219581594), भारतसिंह का आधार कार्ड (368995772923), विक्रमसिंह का आधार कार्ड (324679694629), दीपाकुंवर का आधार कार्ड (554801919139) एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2005 की छायाप्रति पेश की।

2. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का धतुरियाकलां की रिपोर्ट, ग्राम धतुरियाकलां की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 148 की प्रति एवं नामा.सं. 384 दिनांक 20.01.2006 की प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

3. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2005 से ग्राम धतुरियाकलां के खाता सं. 74 ख.नं. 404 रकबा 6–00 बीघा का 1/2 हिस्सा आराजी खरीद की थी जिसका राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामा.सं. 384 दिनांक 20.01.2006 को दर्ज कर तस्दीक किया गया। राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त नामान्तरण में प्रार्थीगण के माता का नाम भंवरीबाई पत्नि बालूसिंह के स्थान पर सहवन से भंवरबाई पत्नि कालूसिंह दर्ज कर दिया जिससे जमाबंदी में प्रार्थीगण के माता व पिता का नाम गलत दर्ज हो गया जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किया जाकर भंवरबाई पत्नि कालूसिंह के स्थान पर भंवरीबाई पत्नि बालूसिंह नाम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

4. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम धतुरियाकलां के खाता सं. 74 ख.नं. 404 रकबा 6–00 बीघा का 1/2 हिस्सा आराजी को भंवरबाई पत्नि बालूसिंह 1/4 हिस्सा एवं शिवकुंवर पत्नि गोरधनसिंह 1/4 हिस्सा दिनांक 08.09.2005 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जिसके आधार पर नामा.सं. 384 दिनांक 20.01.2006 दर्ज कर तस्दीक किया गया परन्तु सहवन से नामा.सं. 384 को दर्ज करते समय भंवरबाई पत्नि कालूसिंह दर्ज कर दिया गया। जिससे जमाबंदी में गलत नाम का अंकन हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है।

5. वकील प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धतुरियाकलां की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 148 के ख.नं. 404 रकबा 1.5176 है. के संबंध में दिनांक 08.09.2005 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार उक्त आराजी को विक्रेता खातेदार प्रेमसिंह पि. पूरसिंह हि. 1/4 करणसिंह पि. प्रेमसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत नि. धतुरियाकलां से प्रार्थीगण भंवरबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पत्नि बालूसिंह 1/4 हिस्सा एवं शिवकुंवर पत्नि गोरधनसिंह 1/4 हिस्सा के नाम दर्ज है परन्तु नामा.सं. 384 में भी केता खातेदार के पति का नाम बालूसिंह ही दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये थे लेकिन नामान्तरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा सहवन से बालूसिंह के स्थान पर कालूसिंह दर्ज कर दिया जिससे जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज हो गया जो कि सही नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2005 एवं नामा सं. 384 से साबित है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी आधार के की गई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम धतुरियाकलां की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 148 के ख.नं. 404 रकबा 1.5176 है. कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम धतुरियाकलां की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 148 के ख.नं. 404 रकबा 1.5176 है. भूमि में भंवरबाई पत्नि कालूसिंह के स्थान पर भंवरीबाई पत्नि बालूसिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner